न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. दिनेश राय सापेला, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2023
Gcms reg. No. 2023/16

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री मोहम्मद अली पिता लियाकत अली, निवासी डुंगरी मोहल्ला, परतापुर, थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक 23–10–2023

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री मोहम्मद अली पिता लियाकत अली, निवासी डुंगरी मोहल्ला, परतापुर, थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम सूचना क्रमांक 283/2020 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अली के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ग्राम न्यायालय गढी से दिनांक 08–02–2021 को जरिये प्रकरण संख्या 186/2020 से दोषसिद्ध किया जाकर 100 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 19/2022 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अली के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ग्राम न्यायालय गढी से दिनांक 23–02–2022 को जरिये प्रकरण संख्या 19/2022 से दोषसिद्ध किया जाकर 100 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 339/2020 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ पुलिस थाना गढी पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अली के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा से दिनांक 16–02–2022 को 100 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela

4. प्रथम सूचना क्रमांक 169/2021 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अली के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ग्राम न्यायालय गढी से दिनांक 02–09–2021 को जरिये प्रकरण संख्या 142/2021 से दोषसिद्ध किया जाकर 200 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

5. इस प्रकार गैरसायल श्री मोहम्मद अली पिता लियाकत अली, निवासी डुंगरी मोहल्ला, परतापुर, थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) जो अवैध जुआ सट्टा अधिनियम के तहत पर कुल 4 प्रकरण दर्ज होकर 4 प्रकरणो में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। अभी भी चोरी छुपे जुआ सट्टा खेलता है व उसके अवैध धन्धे में लिप्त होने की मुखबीरी सूचना है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

3- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। गैरसायल की और से दिनांक 27.03.2023 को अभिभाषक श्री दिलीप गुप्ता, श्री मोहम्मद शमीम खॉ द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया।

4- दिनांक 18.04.2023, 02.05.2023, 16.05.2023, 29.05.2023, 13.06.2023, 26.06.2023, को गैरसायल अथवा उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहे है। दिनांक 11.07.2023 को गैर सायल एवं उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि अप्रार्थी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति या संस्था की शिकायत थाने या न्यायालय में दर्ज नही करवाई है। पूर्व में 13 आर.पी.जी.ओ के मामले जो कि न्यायालय द्वारा फैसल हो चुके है। किसी मामले में पूर्व न्यायालय द्वारा फैसला कर दिया गया हो तो उसी मामले को लेकर उसी मामले को लेकर उसके विरुद्ध फिर से कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। मामले में केवल पुलिस वालो के ही नाम गवाह मे लिये गये है। अन्य क़िसी व्यक्ति का नाम गवाह में नही है।

5- पेशी दिनांक 08.08.2023, 28.08.2023, 12.09.2023, 03.10.2023 एवं आज दिनांक 23.10.2023 को अभियुक्त अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अभियुक्त स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस में कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल अवैध जुआ सट्टा के तहत पर धारा 13

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

आरपीजीओ में कुल 4 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 4 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माने से दण्डित हुआ है। अभी भी चोरी छुपे अवैध जुआ स्ट्टा खेलता है एवं अवैध धन्धे में लिप्त है। गैर सायल बदमाश प्रवृति का होने के कारण इनके विरुद्ध इनके निवास के आस पास के लोग इत्तला करने व गवाही देने से डरते है। गैर सायल स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता दौराने सुनवाई अनुपस्थित है। न्यायहित में पर्याप्त अवसर भी प्रदान किये जा चुके है।

5- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरुद्ध अवैध जुआ सट्टा के तहत पर धारा 13 आरपीजीओ में कुल 4 प्रकरण दर्ज होकर 4 प्रकरणो में दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माने से दण्डित हुआ है। फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नही है। इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी अभियुक्त स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अतः प्रकरण में किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैरसायल श्री मोहम्मद अली पिता लियाकत अली, निवासी डुंगरी मोहल्ला, परतापुर, थाना गढी, जिला बांसवाडा (राज.) को तहसील क्षेत्र गढी से 50 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त अवधि में तहसील क्षेत्र गढी में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैर सायल जिस क्षेत्र में निवास करे, उस क्षेत्र के थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश आज से ही प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

निर्णय आज दिनांक 23–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested